न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र सं. 16/2012

राजस्थान सरकार जरिये राकेश शर्मा, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर ..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान गुर्जर पुत्र श्री उगमचन्द गुर्जर
   निवासी–भूडोल जिला–अजमेर। .....अप्रार्थी

उपस्थित :–

1.श्रीमति रेणूका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांकः– 24.05.2017

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 12.01.2012 को जिला रसद अधिकारी अजमेर को प्राप्त सूचना पर उनके आदेशानुसार प्रार्थी, श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन निरीक्षक के साथ रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे, जम्मु की होटल पहूँच कर मौके पर जॉच दौरान अप्रार्थी तीन प्लास्टिक जरीकेन में 140 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल मिनी बस नं0 आर.जे.–19–पी.–5006 में लोड कर ले जाने के प्रयास में था। रोककर पूछताछ किये जाने पर उसने इस डीजल एवं पेट्रोल बाबत कोई जानकारी नहीं दी एवं ना ही इनके खरीद के कोई बिल प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल एवं डीजल मैसर्स अजमेर ऑटो सेन्टर, पेट्रोल पम्प से क्रय किया जाना बताया गया। पेट्रोल एवं डीजल का अवैध भण्डारण एवं बिना बिल खरीद करना स्पष्ट होने पर तीन प्लास्टिक जरीकेन जिनमें क्रमशः 50,50,40 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक जरीकेन में क्रमशः 30, 30 लीटर पेट्रोल को राजहित में कब्जे राज लेकर श्री शमशेर सिंह पुत्र नाथू सिंह उचित मूल्य दुकानदार सं0 42 निवासी पलटन बाजार को सुपुर्दगी पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य Raj. Petrolium Products (Lic. & Control) Order, 1990 के क्लाज 3 एवं पेट्रोलियम आर्डर–1934 के खण्ड 8 की अवहेलना है। अतः कब्जे राज लिये गये 140 लीटर डीजल एवं 60 लीटर पेट्रोल को मय प्लास्टिक जरीकेन राजसात कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिए अभिभाषक उपस्थित आये। प्रकरण के विचाराधीन रहते प्रवर्तन अधिकारी(पैरोकार सरकार) के द्वारा कब्जेराज लिये गये पेट्रोल एवं डीजल के अन्तरिम निस्तारण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में सुनवाई चाही गई। दौराने सुनवाई रूक–रूक कर तीन बार आवाजें लगवाने के उपरान्त भी अप्रार्थी, अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 12.01.2012 को जिला रसद अधिकारी अजमेर को प्राप्त सूचना पर उनके आदेशानुसार प्रार्थी, श्री अब्दुल सादिक प्रर्वतन निरीक्षक के साथ रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे, जम्मु की होटल पहूँच कर मौके पर जॉच दौरान अप्रार्थी तीन प्लास्टिक जरीकेन में 140 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक जरीकेन में 60 लीटर पेट्रोल मिनी बस नं0 आर.जे.–19–पी.–5006 में लोड कर ले जाने के प्रयास में था। रोककर पूछताछ किये जाने पर उसने इस डीजल एवं पेट्रोल बाबत कोई जानकारी नहीं दी एवं ना ही इनके खरीद के कोई बिल प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी द्वारा पेट्रोल

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

एवं डीजल मैसर्स अजमेर ऑटो सेन्टर, पेट्रोल पम्प से क्रय किया जाना बताया गया। पेट्रोल एवं डीजल का अवैध भण्डारण एवं बिना बिल खरीद करना स्पष्ट होने पर तीन प्लास्टिक जरीकेन जिनमें क्रमशः 50,50,40 लीटर डीजल एवं दो प्लास्टिक जरीकेन में क्रमशः 30, 30 लीटर पेट्रोल को राजहित में कब्जे राज लेकर श्री शमशेर सिंह पुत्र नाथू सिंह उचित मूल्य दुकानदार सं0 42 निवासी पलटन बाजार को सुपुर्दगी पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य Raj. Petrolium Products (Lic. & Control) Order, 1990 के क्लाज 3 एवं पेट्रोलियम आर्डर–1934 के खण्ड 8 की अवहेलना है। अतः कब्जे राज लिये गये 140 लीटर डीजल एवं 60 लीटर पेट्रोल को मय प्लास्टिक जरीकेन राजसात किये जाने के आदेश न्यायहित में फरमावें।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के मुख्यतः कथन है कि अप्रार्थी ग्राम भूडोल पं0 सं0 श्रीनगर का रहने वाला है, प्रतिदिन अपनी प्राईवेट बस अजमेर से भूडोल किशनगढ तक चलाता है। दिनांक 12.01.2012 को ग्राम भूडोल के कुछ किसानों एवं वेन चालकों द्वारा अपने ट्रेक्ट्रो, डीजल इंजन एवं वैन हेतु अपने –अपने जरीकेन दिये। उनकी मांग के अनुसार उन्ही के जरीकेनों में कृषि कार्य हेतु ले जाने हेतु डीजल एवं पेट्रोल परिवहन हेतु वाहन में रखा जाना था। अप्रार्थी उक्त पेट्रोल– डीजल बेचने या धन्धा करने की नीयत से नहीं ले जा रहा था। ना ही फर्द मौका जब्ती में मौके पर किसी व्यक्ति को विक्रय किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी की स्वंय की बस है, तथा गांव के किसान भाईयों को आने जाने की असुविधा एवं परेशानी नहीं हों इसलिए मानवीय दृष्टिकोण एवं सेवा भाव से कृषि कार्य के उपयोग हेतु उनकी मांग के अनुसार उक्त पेट्रोल एवं डीजल क्रय किया गया था। पुष्टि में ग्रामीणों के शपथ पत्र भी जवाब के साथ प्रस्तुत किये गये है। अप्रार्थी द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति के मध्य नजर प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का निस्तारण कर किसानो की सामग्री भी दिलाई जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। चूंकि प्रश्नगत सामग्री (पेट्रोल एवं डीजल) प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से रोडवेज बस स्टैण्ड के पीछे प्लास्टिक जरीकेन में भरकर मिनी बस नं0 आर.जे.–19–पी.–5006 में लोड कर ले जाने के प्रयास दौरान जब्त की गई है। अप्रार्थी का यह कृत्य Raj. Petrolium Products (Lic. & Control) Order, 1990 के क्लाज 3 एवं पेट्रोलियम आर्डर–1934 के खण्ड 8 का स्पष्ट उल्लघंन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्त 140 लीटर डीजल एवं 60 लीटर पेट्रोल को मय प्लास्टिक जरीकेन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2013 द्वारा जब्त डीजल एवं पेट्रोल का अन्तरिम निस्तारण किया जा चूका है। जिला रसद अधिकारी, अजमेर तदनुसार अन्तिम निस्तारण कर, प्राप्त राशि नियमानुसार राज्य कोष में जमा करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.052017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner